उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2020 की रिट याचिका संख्या 768 (एस/एस)
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

रोहिताश्व कुँवर
स्वर्गीय शीशी राय पुत्र स्व.
शांति विहार कॉलोनी निवासी,
आर्य नगर, ज्वालापुर,
हरिद्वार, जिला-हरिद्वार
.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य
...प्रतिवादी

श्री विनय कुमार, याचिकाकर्ता के वकील।
सुश्री अंजलि भार्गव और श्री पी.सी. बिष्ट, अपर. सी.एस.सी. श्री एन.पी. के साथ साह और श्री सुशील वशिष्ठ, राज्य के स्थायी वकील।
श्री भुवन भट्ट, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।
श्री विवेक शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 5 के वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:

(i) सर्टिफिकेट की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें रिकॉर्ड मांगा जाए और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा 27 मई, 2020 को जारी किए गए विवादित संचार/आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिसके तहत विस्तार देने के लिए याचिकाकर्ता का दावा किया गया था। राज्य पुरस्कार विजेता को दी गई दो साल की सेवा को अस्वीकार कर दिया गया है।

(ii) 1 अप्रैल 2020 से शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार-2017 के राज्य पुरस्कार विजेता होने के
नाते याचिकाकर्ता को दो साल की सेवा विस्तार का लाभ देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता इंटर कॉलेज, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहा था। वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30.04.2019 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 08.04.2011, 20.09.2011 एवं 01.06.2012 के प्राविधानों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।01.05.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की सेवाओं की। चूंकि, याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के दौरान 30.04.2019 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा था, इसलिए, सरकार के संदर्भ में। शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को सेवा विस्तार प्रदान करने वाले आदेशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 30.03.2019 के आदेश द्वारा सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। इसके बाद 13.05.2019 को मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ने एक आदेश पारित किया, जिसके तहत संबंधित प्राधिकारी/प्रभारी अधिकारी को याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य पद का प्रभार देने का निर्देश दिया गया। यह तर्क दिया गया है कि जब याचिकाकर्ता व्याख्याता (हिंदी)/कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे, तब उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था और उक्त पुरस्कार उन्हें वर्ष 2019 में उनकी विस्तार अवधि के दौरान दिया गया था। उक्त अवधि को एक वर्ष के विस्तार के बाद दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि नियमों के अनुसार, जिस शिक्षक को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह सेवा में दो साल के विस्तार का लाभ पाने का हकदार है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे उक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सेवा विस्तार के लिए सचिव शिक्षा, उत्तराखंड सरकार को एक आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और 31.03.2020 को याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। . दिनांक 27.05.2020 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड शासन द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को एक पत्र जारी किया गया तथा महानिदेशक, शिक्षा द्वारा दिनांक 18.05.2020 को जारी पत्र का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कंडिका के प्रावधानों के दृष्टिगत -सरकारी आदेश दिनांक 22.08.2007 के अनुसार याचिकाकर्ता को इस आधार पर दो वर्ष का सेवा विस्तार देना संभव नहीं है।राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

3. प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30.04.2019 थी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से सेवा विस्तार प्राप्त करने के बाद अंततः वह 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हो गया है। यह भी कहा गया है कि जी.ओ. दिनांक 22.08.2007 के

अनुसार राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार के कारण दो वर्ष का सेवा विस्तार केवल उन्हीं शिक्षकों को अनुमन्य है, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया हो। यह भी कहा गया है कि दो साल के सेवा विस्तार का लाभ उन लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कार प्राप्त किया है और चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए दो साल की सेवा विस्तार की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता.

5. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार-2017 की घोषणा वर्ष 2017 में हुई थी लेकिन याचिकाकर्ता को 29.01.2020 को दिया गया और उस समय तक याचिकाकर्ता मध्य सत्र का लाभ पहले ही ले चुका था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही मध्य सत्र में सेवानिवृत्ति का लाभ ले चुका है और उसे यह लाभ उस तरीके से मिला जो नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि 30.04.2019 को मध्य सत्र में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वह तब तक प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहा। मध्य सत्र यानी 01.05.2019 से 31.03.2020 के दौरान सेवानिवृत्ति के लाभ की समाप्ति। हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद 30.04.2019 को वे हिन्दी विषय के व्याख्याता के रूप में मध्य सत्र सेवानिवृत्ति का लाभ 31.03.2020 तक ले सकते थे। आगे कहा गया है कि सेवा विस्तार के लिए उत्तराखंड सरकार की नीति इस संबंध में बहुत सुसंगत है कि जो शिक्षक या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एक बार मध्य सत्र का लाभ ले चुके हैं, वे सेवा विस्तार मिलने पर अपनी सेवा आगे बढ़ाने के हकदार नहीं हैं। कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार या शैलेश मटियानी उत्तराखंड राज्य पुरस्कार। आगे कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त पुरस्कार 29.01.2020 को प्राप्त हुआ, जबकि वह पहले से ही मध्य सत्र का लाभ ले रहा था, इसलिए, वह उपरोक्त पुरस्कार के अनुसार अपनी सेवा के आगे विस्तार का हकदार नहीं है।

6. एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.10.2009 ने पुरस्कार के लिए चयन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं और निर्धारित मानदंडों के अनुसार जो शिक्षक पिछले कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर को 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के पात्र हों। आगे कहा गया है कि सेवानिवृत्त/पुनर्नियुक्त शिक्षक/प्रधानाचार्य शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे कहा गया है कि सरकार ने एक सरकारी अधिसूचना जारी की है। आदेश दिनांक 22.08.2007 जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उपलब्ध अतिरिक्त दो वर्ष की सेवा का लाभ केवल ऐसे शिक्षकों को ही देय होगा जिन्हें सेवा के दौरान पुरस्कार प्रदान किया गया हो। आगे कहा गया है कि अतिरिक्त दो वर्षों की सेवाओं का लाभ उस शिक्षक को स्वीकार्य नहीं होगा जो सत्र समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो गया है या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता 10.05.2019 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया और उसे 31.03.2020 तक सत्र लाभ दिया गया। आगे कहा गया है कि शैलेश मटियानी याचिकाकर्ता को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2017 20.01.2020 को प्रदान किया गया, यानी उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता विस्तारित सत्र लाभ पर काम कर रहा था। आगे कहा गया है कि सरकार के अनुसार। आदेश दिनांक 22.08.2007 में उन शिक्षकों को विस्तारित सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्हें सेवानिवृत्ति/सत्र लाभ के बाद पुरस्कार दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को जनवरी, 2020 के महीने में पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि शैक्षणिक सत्र याचिकाकर्ता को 31.03.2020 को पूरा करना था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र के लाभ के पूरा होने से पहले उक्त पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसलिए, वह उक्त पुरस्कार के मानदंडों के अनुसार सेवा में अतिरिक्त दो साल के विस्तार का हकदार है।

7. रिकार्ड के अवलोकन से पता चलेगा कि माननीय राज्यपाल ने ऐसे शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति/सत्र लाभ के बाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वे सेवा विस्तार के ऐसे लाभ के पात्र नहीं होंगे। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30.04.2019 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। हालाँकि, चूंकि उन्हें दिनांक 30.03.2019 के आदेश द्वारा मध्य शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्त किया जा रहा था, इसलिए उन्हें सत्र लाभ दिया गया था और सरकारी आदेश दिनांक 08.04 के मद्देनजर उनकी सेवा को 10.05.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। .2011, जो शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवाओं के विस्तार के लिए मंजूरी देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। विस्तार अवधि के दौरान दिनांक 23.10.2019 को उन्हें शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार-2017 हेतु नामांकित किया गया तथा दिनांक 20.01.2020 को उन्हें उक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद दिनांक 28.03.2020 को दयाचिकाकर्ता ने सरकारी आदेश दिनांक 22.08.2007 के मद्देनजर सेवा विस्तार के लिए आवेदन दिया, हालांकि, उस प्रासंगिक समय पर उत्तरदाताओं द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और 31.03.2020 को याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया। इसके बाद, 27.05.2020 को, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए, वह दो साल की सेवा विस्तार का हकदार नहीं है। 22.08.2007 के सरकारी आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति/सत्र लाभ के बाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वे दो साल के सेवा विस्तार के हकदार नहीं हैं। उक्त जी.ओ. में यह कहीं भी नहीं कहा गया है

कि जिन शिक्षकों को पहले ही सत्र लाभ दिया जा चुका है, वे दो साल के सेवा विस्तार के हकदार नहीं हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी प्रावधान को आंशिक रूप से नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है और प्रावधानों के अन्य हिस्सों को अलग करके पढ़ा जाना आवश्यक है। संपूर्ण प्रावधान को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना आवश्यक है।

8. यह निर्माण का एक प्रमुख नियम है कि जब किसी क़ानून में दो प्रावधान एक-दूसरे के विरोध में हों और वे दोनों एक साथ खड़े न हो सकें, तो संभवतः उनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि दोनों पर प्रभाव डाला जा सके और एक निर्माण भी किया जा सके। उनमें से निष्क्रिय और अनुपयोगी को अंतिम को छोड़कर नहीं अपनाया जाना चाहिए जिसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है। शीर्ष अदालत के शब्दों में, प्राधिकरण को किसी अधिनियम के विभिन्न हिस्सों के बीच "आमने-सामने टकराव" से बचना चाहिए और विभिन्न प्रावधानों के बीच टकराव को सुसंगत बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। सामान्य धारणा में निरंतरता होनी चाहिए और यह नहीं माना जाना चाहिए कि विधायिका द्वारा एक हाथ से जो दिया जाता है उसे दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश की जाती है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को संक्षेप में समझाया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार, "जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान होते हैं जिनका एक-दूसरे के साथ समाधान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए, कि यदि संभव हो, तो दोनों पर प्रभाव डाला जाए"। ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो अधिनियम के एक हिस्से को मृत अक्षर बना देता है क्योंकि सामंजस्य बनाना विनाश के बराबर नहीं है। क़ानून की एक धारा के प्रावधानों का उपयोग दूसरे धारा के प्रावधानों को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना असंभव न हो। इस प्रकार एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकड़ी' या 'मृत पत्र' में बदल देता है, वह एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करने का मतलब नष्ट करना नहीं है। यह एक क़ानून के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि व्याख्या करने में प्रयास किया जाना चाहिए किसी टकराव से बचकर और सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर इसके प्रावधान। इसके तहत बनाए गए क़ानून या नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाने के लिए एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

9. सुप्रीम कोर्ट ने सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ मामले में (1991) 2 एससीसी 87 के पैराग्राफ संख्या 19 में रिपोर्ट दी है:

"19. यह सच है कि किसी क़ानून में ऐसे शब्दों को पढ़ने की अनुमति नहीं है जो वहां नहीं हैं, लेकिन "जहां विकल्प यह है कि या तो उन शब्दों को निहितार्थ से भर

दिया जाए जो गलती से छूट गए हों, या ऐसी रचना अपनाई जाए जो कुछ मौजूदा शब्दों को सभी से वंचित कर दे अर्थ, शब्दों की आपूर्ति करने की अनुमति है" (क्रेज़ स्टैट्यूट लॉ, 7वां संस्करण, पृष्ठ 109)। हमीदिया हार्डवेयर स्टोर्स बनाम बी. मोहन लाल सॉवकर, [1988] 2 एससीसी 513 524-25 में इसी तरह की टिप्पणियाँ हैं जहां यह देखा गया कि किसी प्रावधान की व्याख्या करने वाले न्यायालय को इसमें उन शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किए गए हैं, लेकिन उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें एप्रावधान प्रकट होता है और क़ानून का उद्देश्य जिसमें उक्त प्रावधान अधिनियमित किया गया है, अदालत को इसे सार्थक बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। क़ानून द्वारा अपेक्षित उपाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। (देखें: सिराजुल हक खान और अन्य बनाम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, [1959] एससीआर 1287 एट 1299)"

10. सुल्ताना बेगम बनाम में। प्रेम चंद जैन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्याख्या के नियम के अनुसार किसी अधिनियम के दो असंगत या स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को प्रावधानों की व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य हो सके ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके। अधिनियम को प्रभावी बनाया जा सकता है और दोनों प्रावधानों को किसी एक को भी निष्क्रिय किए बिना संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

11. इस प्रकार, शासनादेश दिनांक 22.08.2007 के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता को सत्र लाभ की अवधि के दौरान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह सेवा विस्तार के लिए बहुत पात्र है, जिसे गलत तरीके से आक्षेपित द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। आदेश दिनांक 27.05.2020. वही निरस्त किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करके, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता दो साल की सेवा के लाभ का हकदार है।

13. तद्नुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 27.05.2020 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। शैलेश मटियानी के राज्य पुरस्कार विजेता होने के नाते याचिकाकर्ता को दो साल की सेवा विस्तार का लाभ देने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी को परमादेश जारी किया जाता है।राज्य शिक्षा पुरस्कार-2017 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(लोकपाल सिंह, जे.)

दिनांक: 25.01.2021